**मध्यप्रदेश शासन**
**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**
**मंत्रालय**

**:: आदेश ::**

भोपाल, दिनांक 31 /05/2018

क्रमांक एफ 12-07/2018/सत्रह/मेडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (N.H.P.M.) का प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है -

1. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन प्रदेश में दिनांक 15 अगस्त, 2018 से प्रारंभ की जाती है ।
2. प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को ट्रस्ट / सोसाइटी के माध्यम से संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 83.81 लाख परिवारों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित एवं श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत असंगठित मजदूरों के सभी परिवारों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में जोड़ा जावे ।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन संचालन हेतु अंतरिम मानव संसाधन/संस्थागत ढांचे की स्वीकृति प्रदान कर प्रशासकीय व्यय हेतु कुल बजट का दस प्रतिशत आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में चिकित्सा उपचार के विभिन्न पैकेजों में से चिन्हित पैकेजों को शासकीय संस्थाओं के लिए आरक्षित किया जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन लागू होने पर जिला चिकित्सालय व चिकित्सा महाविद्यालय भी योजना में भाग लेते हुए निर्धारित पैकेज की राशि प्राप्त कर सकेंगे । इन पैकेजों में पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अनुरूप ही विशेषज्ञ व अन्य प्रयोजन हेतु राशि का विभाजन किया जावेगा ।
6. राष्ट्रीय सवस्थ्य सुरक्षा मिशन लागू होने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि, मिशन में समाविष्ट हो जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग